"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2007—चैत्र 9, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2007

क्रमांक/96/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री कमल गोलछा आत्मज श्री कनवर लाल गोलछा शैलेन्द्रनगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 13-4-07 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	मानवता चैरिटेबल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट रामसागर पारा, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	बैंक आफ राजस्थान शाखा रायपुर, खाता क्र. 3540301111782, राशि 10,000=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

[अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)].

क्रमांक/उपरा/परिसमापन/2007/348.—वास्तव में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 889 दिनांक 11-8-2005 से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर पंजीयन क्रमांक 681 दिनांक 5-10-1990 विकासखण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एन. ठाकुर सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बरमकेला जिला-रायगढ़ को उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

चूंकि परिसमापक ने दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर के परिसमापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न करके नियमानुसार उक्त सोसायटी के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है तथा मैं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से संतुष्ट हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर पंजीयन क्रमांक 681 जिला रायगढ़ का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा सहायक/उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा-1 के प्रावधानों के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर पंजीयन क्रमांक 681 विकासखण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त सोसायटी का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-3-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

[अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपरा/परिसमापन/2007/349 .—वास्तव में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 889 दिनांक 11-8-2005 से मछुवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव पंजीयन क्रमांक 814 दिनांक 5-2-1992 विकासखण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एन. ठाकुर सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बरमकेला जिला-रायगढ़ को उक्त मछुवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

चूंकि परिसमापक ने मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बरमकेला के परिसमापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न करके नियमानुसार उक्त सोसायटी के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है तथा मैं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से संतुष्ट हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मछुवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव पंजीयन क्रमांक 814 जिला रायगढ़ का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयन सहकारी संस्थाएं, की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा-1 के प्रावधानों के अन्तर्गत मछुवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव पंजीयन क्रमांक 814 विकासखण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त सोसायटी का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-3-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.